उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1771 /VII-1/16/68–ख/15
देहरादून : दिनांकः 19 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या–1266/VII-1/2014/158–ख/2004 दिनांक 1 सितम्बर, 2014, अधिसूचना संख्या–1031/VII-1/2015/158–ख/2004 दिनांक 31 जुलाई, 2015, अधिसूचना संख्या–1590/VII-1/2015/158–ख/2004 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015, अधिसूचना संख्या–1592/VII-I/2015/158–ख/2004 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015, अधिसूचना संख्या–96/VII-I/2016/158–ख/2004 दिनांक 22 जनवरी, 2016, अधिसूचना संख्या–390/VII-1/2016/158–ख/2004 दिनांक 4 मार्च, 2016, अधिसूचना संख्या–851/VII-1/2016/158–ख/2004 दिनांक 19 मई, 2016, अधिसूचना संख्या–1576/VII-1/2016/158–ख/2004 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 एवं अधिसूचना संख्या–1725/VII-1/16/158–ख/2004 दिनांक 13 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड ख़निज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, 2016 प्रख्यापित की गई। राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या–67, 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित 2016 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

नियम–8(2) का संशोधन :
उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, 2016 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–8 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात;

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम–8(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ नियमानुसार आवेदन शुल्क (बिना वापसी के) देय होगा :– राज्य में स्वीकृत स्टोन क्रेशर को खनिज भण्डारण हेतु रू 1,00,000.00 (रू एक लाख) आवेदन शुल्क देय होगा तथा रिटेल भण्डारण हेतु आवेदनकर्ता को रू 3,000.00 (रू तीन हजार) आवेदन शुल्क देय होगा। उपरोक्त से भिन्न खनिज भण्डारकर्ताओं को आवेदन शुल्क निम्नानुसार देय होगा :– 1. पर्वतीय क्षेत्र (Zone-A) :–खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.25 लाख (रू0 पच्चीस हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रू 0.25 लाख (रू पच्चीस हजार) आवेदन शुल्क देय होगा। 2. मध्य पर्वतीय क्षेत्र (Zone-B):–खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.50 लाख (रू0 पचास हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या	**नियम–8(2)** ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नानुसार आवेदन शुल्क (बिना वापसी के) देय होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा कराया जायेगा:– राज्य में स्वीकृत स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट को खनिज भण्डारण हेतु रू 1,00,000.00 (रू एक लाख) आवेदन शुल्क देय होगा तथा रिटेल भण्डारण हेतु आवेदनकर्ता को रू 3,000.00 (रू तीन हजार) आवेदन शुल्क देय होगा।

उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.50 लाख (रू0 पचास हजार) आवेदन शुल्क देय होगा। 3. मैदानी क्षेत्र (Zone-C) :—खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.60 लाख (रू0 साठ हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.60 लाख (रू0 साठ हजार) आवेदन शुल्क देय होगा।	

नियम–9 का संशोधन :

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, 2016 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात;

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम–9 इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसी मात्रा (भण्डारण स्थल में एक समय में रखे जाने वाली खनिजों की मात्रा एवं अनुज्ञप्ति अवधि में कुल भण्डारित की जाने वाली मात्रा) के लिए जो उसके द्वारा उचित और उपयुक्त समझी जाये, जिलाधिकारी द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खनिज भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। जिलाधिकारी ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/खान निरीक्षक से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जांच कराने के पश्चात् प्रपत्र–"आई" में भण्डारण अनुज्ञप्ति 02 वर्ष के लिये स्वीकृत की जायेगी तथा स्वीकृति आदेश की प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को उपलब्ध कराई जायेगी एवं स्वीकृति के उपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को टिन नम्बर लेना अपरिहार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्टोन क्रेशर परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति जिलाधिकारी द्वारा 05 वर्ष या अनुज्ञा अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकृत की जायेगी। रिटेल भण्डारण हेतु खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में जिलाधिकारी या समय–समय पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकतम 02 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की जायेगी। परन्तुक स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर, पल्वराईजर एवं मोबाईल स्टोन क्रेशर परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति प्रपत्र– प्रपत्र–"आई" में भण्डारण अनुज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा की अवधि के लिए स्वीकृत की जायेगी।	नियम–9 इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसी मात्रा (भण्डारण स्थल में एक समय में रखे जाने वाली खनिजों की मात्रा एवं अनुज्ञप्ति अवधि में कुल भण्डारित की जाने वाली मात्रा) के लिए जो उसके द्वारा उचित और उपयुक्त समझी जाये, जिलाधिकारी या समय–समय पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खनिज भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। जिलाधिकारी ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जांच कराने के पश्चात् प्रपत्र–"आई" में भण्डारण अनुज्ञप्ति 02 वर्ष के लिये स्वीकृत की जायेगी तथा स्वीकृति आदेश की प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को उपलब्ध कराई जायेगी एवं स्वीकृति के उपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को टिन नम्बर लेना अपरिहार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्टोन क्रेशर परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति जिलाधिकारी द्वारा 05 वर्ष या अनुज्ञा अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकृत की जायेगी। रिटेल भण्डारण हेतु खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में जिलाधिकारी या समय–समय पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकतम 02 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की जायेगी। परन्तुक स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर, पल्वराईजर एवं मोबाईल स्टोन क्रेशर परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति प्रपत्र– प्रपत्र–"आई" में भण्डारण अनुज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा की अवधि के लिए स्वीकृत की जायेगी। सभी भण्डारकर्ताओं को स्वीकृति से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को टिन नम्बर लेना अपरिहार्य होगा।

—3

सभी भण्डारकर्ताओं को स्वीकृति से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को टिन नम्बर लेना अपरिहार्य होगा। अतिरिक्त प्रावधान– सोपस्टोन पट्टाधारक, पल्वराईजर धारक एवं सोपस्टोन ट्रेडर को खनिज भण्डारण हेतु इस नियमावली के सुसंगत प्रावाधानों के अन्तर्गत भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।	अतिरिक्त प्रावधान– पल्वराईजरधारक एवं सोपस्टोन ट्रेडर को खनिज भण्डारण हेतु इस नियमावली के सुसंगत प्रावाधानों के अन्तर्गत भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव